मध्यप्रदेश विधान सभा

अगस्त–सितम्बर, 1995 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1995 (भाद्र 21, 1917)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथक्तः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1991 (क्रमांक 23 सन् 1991) की धारा 17 की अपेक्षानुसार :–

(क) डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर का वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई, 1993 से 30 जून, 1994 तक), वार्षिक लेखा वर्ष 1993–94 (दिनांक 1 अप्रैल, 1993 से 31 मार्च, 1994 तक) तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन (प्रत्युत्तर सहित) वित्तीय वर्ष 1992–93 ;

(ख) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का लेखा वर्ष 1993–94 की सम्परीक्षा प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा वर्ष 1993–94 ; एवं

(ग) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर का तीसवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993–94,

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकर्षण

(1) डॉ. गौरीशंकर शेजवार, सर्वश्री धावरचन्द गेहलोत, मनोहरलाल राठौर, सदस्य, राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के इंजीनियरिंग के छात्रों हेतु फाउण्डेशन कोर्स प्रारंभ किये जाने की ओर जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री लक्ष्मीकान्त शर्मा, सदस्य, विदिशा जिले की लटेरी तहसील के ग्राम टोंकरा में तीन व्यक्तियों की हत्या होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. राज्यमंत्री मछली पालन का वक्तव्य

डॉ. प्रेमसाय सिंह, राज्यमंत्री, मछली पालन, दिनांक 28 अगस्त, 1995 को पूछे गये परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 (क्रमांक 2530) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

निर्धारित समय

5. वर्ष 1987–88 की अधिकाई अनुदानों की मांगों पर मतदान

श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे :–

30 मि.

"दिनांक 31 मार्च, 1988 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 3, 4, 8, 9, 14, 19, 20, 22, 24, 29, 52, 55, 58, 67, 69, 70 एवं 79 के लिये स्वीकृत राशि के अतिरिक्त किये गये समस्त अधिकाई व्यय की पूर्ति के निमित्त राज्यपाल महोदय को एक सौ इकतीस करोड़, चौरासी लाख, बाइस हजार, तीन सौ उनसठ रूपये की राशि दिया जाना प्राधिकृत किया जाय".

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 1995 (क्रमांक 28 सन् 1995) का पुरःस्थापन * करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .

(2) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा, प्रस्ताव करेंगे कि महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय विधेयक, 1995 (क्रमांक 26 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

(3) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) विधेयक, 1995 (क्रमांक 27 सन् 1995) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

निर्धारित समय
1 घन्टा 30 मि. (शेष 1 घन्टा 5 मि.)
1 घन्टा 30 मि.

7. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

(1) प्रदेश में नकली खाद व बीज मिलने एवं समय पर खाद व बीज न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा (क्रमशः).

(2) प्रदेश के आदिवासी जिले बस्तर में स्थित बैलाडीला की लौह अयस्क खदान को विदेशी कम्पनी को दिये जाने के संबंध में सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, कैलाश जोशी, बनवारीलाल अग्रवाल, बाबूलाल गौर, रामलखन शर्मा, बच्चन नायक तथा श्री ईश्वरदास रोहाणी, सदस्य, चर्चा उठायेंगे.

शीला खन्ना
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 11 सितम्बर, 1995